न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–कमला अलारिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या:–78/2021

भालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ –अपीलार्थी

बनाम

1. दियाल कौर पुत्री नन्दसिंह जाति रायसिख सा.सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. लालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज

–उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता,उत्तरवादीगण
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक:–14.02.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार राजियासर के निर्णय दिनांक 08.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम चक 1 एस.पी.एम. प.नं.158/28 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर अ0क0 भूमि इन्तकाल सं. 346 द्वारा विरास्तन दर्ज की गई है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के पिता नंदसिंह पुत्र मांगसिंह उर्फ मालासिंह जाति रायसिख साकिन सूरेवाला के नाम तहसील सूरतगढ़ के चक 1 एस. पी.एम. प.नं.158/28 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर अ0क0 भूमि पुख्ता आवंटित है। नंदसिंह की मृत्यु हो चुकी है। नंदसिंह के जायज वारिस नंदसिंह की पत्नि खुशियाबाई, चार पुत्र भालसिंह(अपीलार्थी), लेखसिंह, जीतसिंह, छीन्दसिंह व तीन पुत्रियां करतारो बाई,रानी बाई, वीराबाई कुल 8 सदस्य है। समर्थन में सन 1974 में विकास अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जारी राशन कार्ड की फोटो प्रति संल्गन है। उत्तरवादी 1 व 2 ने अपने पिता नंदसिंह जो कि अपीलार्थी के पिता नंदसिंह के नाम के समान का अवैध फायदा उठाकर अपने पिता के वारिस प्रमाण पत्र को अपीलार्थी के पिता नंदसिंह की भूमि के विरास्तन इंतकाल हेतु पेश करके अपीलार्थी के पिता की आवंटित भूमि का इंतकाल अपने नाम करवा लिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पिता नंदसिंह को आवंटित भूमि चक 1 एसपीएम के बारानी क्षेत्र में स्थित है एवं अनकमांड है जो वर्षा पर निर्भर है एवं निरन्तर खेती नहीं होती है। अपीलार्थी के पिता का मूल निवास आवंटित भूमि से दुर ग्राम सूरेवाला में है। पिता की मृत्यु पश्चात हम भाई बहिन अलग–2 कार्यो में व्यस्त रहने के कारण भूमि की देखभाल पर्याप्त रूप से नहीं कर पाते है एवं कुल समय जमीन खाली पड़ी रहती है। उत्तरवादीगण ने उपरोक्त स्थिति का फायदा उठाकर अवैध रूप से रिकार्ड की जांच

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कर एवं खातेदारी सनद की प्रतिलिपि प्राप्त कर पहले इ.सं. 344 दिनांक 28.10.21 के द्वारा खातेदारी का अमलदरामद करवाया एवं उसके 10 दिन बाद अपने पिता के वारिसनामा का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए अपने नाम अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करवा लिया जो निरस्ती योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी वारिसनामा की पुर्ण जांच किये बिना एवं आवंटी के ग्राम सूरेवाला के सरपंच की बजाय राजस्थान राज्य से बाहर पंजाब के जिला मानसर की ग्राम पंचायत लौहगढ़ के सरपंच द्वारा जारी वारिसनामा के आधार पर विरास्तन इंतकाल दर्ज कर दिया, जबकि मूल आवंटी ग्राम सूरेवाला का निवासी था एवं तहसील टिब्बी से किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। अतः अपीलाधीन इन्तकाल सं. 346 दिनांक 08.11.2021 निरस्त किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी सहित प्रार्थी के पिता नंदसिंह के सभी विधिक वारिस के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। उक्त आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिये अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि हमारे पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह को आवंटित हुई थी तथा आवंटन के बाद किश्तें अदा करने पर बाद जांच खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। पिता नन्दसिंह की दिनांक 01.08.94 को मृत्यु हो चुकी है जिनके रेस्पो. सं. 1 व 2 कानून व जायज वारिस है। पिता की मृत्यु होने पर हमारे नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा तहसीलदार सरदूलगढ़ पंजाब से वारिसनामा की तस्दीक प्राप्त की गई तथा तस्दीक प्राप्त होने के बाद तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा हल्का पटवारी गोपालसर को मृतक माहलासिंह व नंदसिंह के जायज वारिसान की जांच, रिकार्ड से मिलान कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा हमारे पिता नंदसिंह की अपीलाधीन भूमि का विरास्तन इ.सं. 364 पर पूर्ती की गई तथा नायब तहसीलदार राजियासर द्वारा दिनांक 08.11.2021 उक्त विरास्तन इन्तकाल विधि सम्मत रूप से तस्दीक किया गया। पिता नंदसिंह को आवंटित भूमि का असल आवंटन पट्टा, सनद खातेदारी सं.1509 दिनांक 19.09.2006, पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह का मृत्यु व वारिस प्रमाण पत्र, किश्तें जमा कराने के असल चालान हमारे पास है। अपीलार्थी के पिता तथा हमारे पिता का नाम समान होने के कारण विधि विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे। कानूनी नजीर आर.आर.डी.1989 पेज–292,आर. आर.टी.2019 पेज–1228,डीएनजे 1997 पेज–747 व आर.बी.जे.2002 पेज–163 प्रस्तुत की।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलांट द्वारा पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी तथा स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका जवाब रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया है। चूंकि अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2021 को दर्ज कर ली गई थी एवं अपीलांट द्वारा ही अपील में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। अतः न्यायहित में 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

6. अपीलांट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार राजियासर के आदेश दिनांक 08.11.2021 के विरूद्ध दिनांक 11.11.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो अन्दर मियाद है।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8.अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील नायब तहसीलदार राजियासर के निर्णय दिनांक 08.11.2021 से व्यथित होकर इस न्यायालय में 96 सीपीसी के प्रा.पत्र सहित प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन भूमि अपने पिता नंदसिंह पुत्र मांगसिंह उर्फ मालासिंह को आवंटन होना बताते हुए हितबद्ध होने के कारण यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसलिये न्यायहित में 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

9.अपीलार्थी द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार राजियासर के निर्णय दिनांक 08.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा चक 1 एस.पी.एम. प.नं.158/28 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर अ0क0 भूमि का विरास्तन नामान्तरकरण सं. 346 उत्तरवादीगण के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का एतराज है कि उत्तरवादीगण पंजाब के निवासी है तथा पंजाब के निवासी होने के कारण ही इनके पिता नंदसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पंजाब से जारी हुआ है। हम आवंटी नंदसिंह के वारिस हैं तथा हमारे पिता को ही अपीलाधीन भूमि कीमतन आवंटन हुई थी। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता उत्तरवादीगण का तर्क है कि हमारे पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह पहले सूरेवाला तहसील टिब्बी में रहते थे परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बाद में लोहगढ़ पंजाब में रहने लग गये तथा वहीं पर पिता नंदसिंह का देहांत हो गया। जिस व्यक्ति की जहां पर मृत्यु होती है वहीं पर मृत्यु का पंजीकरण होता है। इसलिये हमारे पिता नंदसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पंजाब से जारी हुआ। हमारे पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह को ही अपीलाधीन भूमि दिनांक 26.08.82 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो.सूरतगढ़ द्वारा कीमतन आवंटन की गई थी। जिसकी किश्तें हमारे पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह द्वारा अदा की गई थी तथा किश्ते अदा करने के बाद भी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जांच करने के बाद भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत अपने पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह का प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण संदिग्ध हो। अपीलांट ने स्वयं को नंदसिंह का वारिस बताते हुए उक्त इन्तकाल निरस्त करने हेतु निवदेन किया है जबकि अधिवक्ता उत्तरवादीगण द्वारा अपीलाधीन भूमि अपने पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह को दिनांक 26.08.1982 को कीमतन आवंटन होना बताया है तथा बरवक्त बहस अधिवक्ता उत्तरवादीगण द्वारा असल आवंटन आदेश, सनद खातेदारी सं.1509 दिनांक 19.09.2006, पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र, आवंटित भूमि की खजाना राज में किश्तें जमा कराने के असल चालान तथा परचा लगान, परिवार राशन कार्ड ग्राम पंचायत सूरेवाला लालसिंह पुत्र नंदसिंह प्रस्तुत किये। परन्तु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलाधीन भूमि उनके पिता नंदसिंह को आवंटित हुई हो। अपीलांट व रेस्पो. के पिता की वल्दीयत एक होने से अपीलांट के पिता को अपीलाधीन भूमि का आवंटी नहीं माना जा सकता है जबकि आवंटित भूमि से सम्बन्धित समस्त असल दस्तावेज रेस्पो. के पास है। नायब तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

राजियासर द्वारा उत्तरवादीगण द्वारा दिनांक 27.04.2021 को तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष अपीलाधीन भूमि के विरास्तन इंतकाल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत वारिस प्रमाण की तस्दीक करवाई जाकर ही अपीलाधीन इ.सं. 346 तस्दीक किया गया है। जिसमें तहसीलदार सरदूलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में कुर्सीनामा नंदसिंह पुत्र माहलासिंह प्रेषित किया है जिसमें मृतक नंदसिंह पुत्र माहला सिंह के जायज वारिस रेस्पो. लालसिंह व दियालकौर को बताया गया है जिसे नम्बरदार हरविन्दरसिंह व हल्का पटवारी रणजीतगढ़ बांदरा से सही होना अंकित किया है तथा तहसीलदार सारदुलगढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाकर भिजवाया गया है। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार राजियासर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वारिस प्रमाण पत्र तस्दीक होकर आया है। अपीलांटद्वारा मौखिक आरोप लगाने से साबित नहीं होा है कि रेस्पो. नंदसिंह पुत्र मालासिंह के जायजवारिस नहीं है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति राशन कार्ड सं. 173220 दिनांक 21.05.80 सरपंच ग्राम पंचायत सूरेवाला पं.स.हनुमानगढ़ में परिवार के मुखिया का नाम नंदसिंह पुत्र माहलासिंह है तथा परिवार में 4 सदस्य अंकित है इसी प्रकार छाया प्रति राशन कार्ड सं. 173221 दिनांक 21.05.80 सरपंच ग्राम पंचायत सूरेवाला पं.स.हनुमानगढ़ में परिवार के मुखिया का नाम लाल पुत्र नंदसिंह सूरेवाला है जिसमें परिवार सदस्य 4 अंकित है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे उक्त दस्तावेज संदिग्ध होना प्रतीत हो। अधिवक्ता उत्तरवादीगण ने अपीलार्थी नंदसिंह के पिता का नाम सुभागसिंह होना बताया है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत छाया प्रतित मतदाता सूची टिब्बी विधान सभा 1980 के भाग सं. 24 के क्रम सं. 496 पर नन्दसिंह पुत्र सुभागसिंह, जीतसिंह पुत्र नंदसिंह अंकित है इसी प्रकार मतदाता सूची 1988 भाग सं. 35 कम सं. 134 पर नंदसिंह पुत्र भागासिंह अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजियासर केसमक्ष रेस्पो. द्वारा पिता नंदसिंह पुत्र मालासिंह के वारिस प्रमाण पत्र की पूर्णतया जांच करवाने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील निरस्त की जाती है एवं इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.12.2021 निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner